न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.
लोक अदालत शिविर–घाणेराव

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 31/2008
दायर तिथि :– 10.03.2008
निर्णय दिनांक :– 11.05.2018

वादीगण :–

मृत लालाराम पुत्र देवाजी के कायम मुकाम
1. प्यारीबाई पत्नि लालाराम
2. लक्ष्मणराम पुत्र लालाराम
3. मांगीलाल पुत्र लालाराम
4. समाराम पुत्र लालाराम
5. जमना पुत्री लालाराम

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी
2. जिला वन अधिकारी, वन विभाग ,देसूरी
3. मुख्य वनजीव प्रतिपालक देवाली उदयपुर
4. सचिव महोदय, राजस्थान वन विभाग, जयुपर

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. वादी लक्ष्मण राम एवं मांगीलाल।
2. तहसीलदार देसूरी – प्रतिवादी।

–: निर्णय :– **दिनांक :–11.05.2018**

वादीगण ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 92ए राजस्थाान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

वादग्रस्त भूमि मौजा घाणेराव तहसील देसूरी में स्थित वादग्रस्त भूमि ख.न. 1176 रकबा 1.28 हे. के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई अज्ञाप्ति का अनुतोष चाहा गया है। वादी ने यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 701 रकबा 8 बीघा भूमि पूर्व में वर्ष 1973 में वादी को नियमन की गई तथा ना.क. संख्या 1630 दिनांक 27.05.1982 के तात्कालीन अधिकार अभिलेखों में वादी के नाम दर्ज भी की गई थी। वन विभाग के क्षैत्रीय वन अधिकारी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वन्यजीव अभ्यारण कुम्भलगढ के आधिपत्य स्वामित्व की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

पेज लगातार 2 पर..

है जो रियासत समय से जंगलात महकमा की भूमि रही तथा रियासत विलीनीकरण के पश्चात वन विभाग की भूमि लगातार रही है। जो किसी भी व्यक्ति/ संस्था को खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वन विभाग(कुम्भलगढ वन अभ्यारण) की भूमि है जो किसी भी स्थिति में खातेदारी अधिकार प्रदत किये जाने अथवा भूमि की वर्तमान स्थिति को परिवर्तन करने के अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के अलावा अन्य किसी को हासिल नहीं है। अतः वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया।

चुंकि वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। तथा कुम्भलगढ वन अभ्यारण में स्थित है। अतः इस वाद को इस स्टेज पर निर्णित किया जाना न्याय संगत प्रतीत है। यह स्पष्ट रूप से रेकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है तथा राजस्व रेकार्ड में भी वन विभाग के खाते में ही दर्ज है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी भी स्थिति में इस न्यायलय द्वारा वादीगण को प्रदत नहीं किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। जिसके खातेदारी अधिकार प्रदत किये जाने की शक्तियां इस न्यायालय को हासिल नहीं है। अतः इस स्टेज पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हम मानते है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश बेनाली)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादी :–

मृत लालाराम पुत्र देवाजी के कायम मुकाम

1. प्यारीबाई पत्नि लालाराम
2. लक्ष्मणराम पुत्र लालाराम
3. मांगीलाल पुत्र लालाराम
4. समाराम पुत्र लालाराम
5. जमना पुत्री लालाराम

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी
2. जिला वन अधिकारी, वन विभाग ,देसूरी
3. मुख्य वनजीव प्रतिपालक देवाली उदयपुर
4. सचिव महोदय, राजस्थान वन विभाग, जयुपर

दावा बाबत 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
मुकदमा नम्बर :– **31/2008**
निर्णय दिनांक :– **11.05.2018**

वादीगण की ओर से **वादी उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी उपस्थित** में इस वाद में **शिविर – घाणेराव** आज तारीख **11.05.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11** माह **मई** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी